



2026:AHC:17881

न्यायालय संख्या – 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1214 वर्ष 2026

आवेदक :-शिवम

विपक्षी :-उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : आकाश मिश्रा

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., गौरव त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश मिश्रा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - बिठौली, जनपद - इटावा के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 42 वर्ष 2025, धारा 190(2), 191(2), 191(3), 103(1), 109, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता में जमानत की प्रार्थना कर रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 04.11.2025 को सायं लगभग 04:00 बजे, आवेदक ने चार अन्य नामजद अभियुक्तों और दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कुल चार व्यक्तियों को चोटें पहुँचाई, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई, जबकि तीन घायल जीवित बच गए।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। एफ.आई.आर. में जैसा कि आरोप लगाया गया है, उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। एफ.आई.आर. लगभग 18 घंटे विलंब से दर्ज की गई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। मृतक को किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से कोई चोट नहीं आई थी। आवेदक पर लोहे की रॉड रखने का आरोप लगाया गया है, जिसकी बरामदगी उसकी निशानदेही पर बताई गई है। आवेदक पर मृतक को लगी 'कर्तन घाव' पहुँचाने का आरोप नहीं है, अतः वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 13.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है, अतः वह जमानत पर रिहा होने का पात्र है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
8. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का इस आधार पर पुरजोर विरोध किया है कि मृतक के माथे पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कई 'नील' के निशान थे, और अन्य घायल व्यक्तियों को भी कई 'नील' एवं 'फटे हुए घाव' आए थे, अतः चोटों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

9. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता का सर्वोपरि कर्तव्य पहले घायलों को अस्पताल पहुँचाना था ताकि उनका जीवन बचाया जा सके, और उसके पश्चात एफ.आई.आर. दर्ज कराना था। अतः, एफ.आई.आर. दर्ज कराने में यदि कोई विलंब हुआ है, तो वह स्वाभाविक एवं न्यायोचित है और अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद है और चोटें भी अभियोजन कथानक की पुष्टि करती हैं, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ।
11. तदनुसार, जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।
12. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) SCC 220** तथा **हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 SCC 702** के हालिया निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले का शीघ्रता से निस्तारण किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।